सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 27/2021 रसद
मलखान मीना उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत चांदेरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

..अपीलांट

बनाम

. जिला रसद अधिकारी दौसा (राजस्थान)

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 2.2.2021 अभियोग संख्या 81/2020 जिला रसद अधिकारी दौसा

उपस्थित: 1. श्री नगेन्द्र मीना, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 26.5.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 02.02.2021 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे दलील दी है कि जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश व निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है वे असत्य एवं बेबुनियाद है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश कर दिया गया था व अपना स्पष्टीकरण दे दिया गया था, परन्तु जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व कारणों पर कोई गौर नहीं फरमा कर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष अपना स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत किया जिसमें उचित मूल्य की खाद्य सामग्री का विधिवत अंकन था, किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट ने विधिवत रूप से उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया है तथा रसद वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अपीलांट बीमार हो जाने से अपीलांट ने निवेदन किया कि प्रार्थी का वितरण कार्य अस्वस्थ होने के कारण 06 माह के लिए बंद कर दिया जावे तथा अपीलांट [illegible] होने पर प्रार्थी ने दिनांक 1.4.2021 को श्रीमान जिलाधीश महोदय दौसा को प्रार्थना [illegible] अवगत कराया था कि अपीलांट द्वारा जो राशन सामग्री के वितरण [illegible] दिया था वह अब पुनः अपीलांट को दिलवाया जावे क्योंकि अपीलांट अब स्वस्थ है और अपना कार्य करने [illegible] है। अब अपीलांट उचित मूल्य सामग्री का वितरण करना चा[illegible] है। अपीलांट ने नि[illegible] किया कि 6 माह पहले मशीन में जो गेहॅं स्टॉक में था वह मुझे संभलाया जावे और मेरा वितरण का आदेश

निरंतर ...2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जारी किया जावे। परन्तु अपीलांट की उक्त प्रार्थना व स्पष्टीकरण पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया और मनमाने तरीके से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। प्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था जिसमें निवेदन कर दिया था कि अपीलांट का जो रजिस्टर नहीं मिल पाया था जो स्टॉक है वह मशीन में है और वही मान्य है किन्तु जिला रसद अधिकारी दौसा ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य धाराओं में कोई अपराध नही किया है। वास्तव में अपीलांट बीमार हो जाने के कारण आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं कर पाया था, जिसके संबंध में जिला रसद अधिकारी दौसा को अवगत करा दिया था। उसके बाद अपीलांट के स्वस्थ होने पर जिला रसद अधिकारी दौसा को अवगत कराया कि अपीलांट अब स्वस्थ्य है व अपना कार्य करने में समर्थ है परन्तु इस तथ्य पर भी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा गौर नहीं किया गया। अपीलांट ने सदैव ही अपने कर्तव्यों का पालन कर आवश्यक वस्तुओं का समय पर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ वितरण कार्य किया है। इस संबंध में अपीलांट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है और ना ही आवश्यक वस्तुओं का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जो राशि जमा कराने व वसूल करने का आदेश दिया है वह भी विधि विरूद्ध है। अपीलांट की दौराने वितरण कार्य किसी भी उपभोक्ता ने कोई शिकायत नहीं की है। अपीलांट कभी पूर्व में निलंबित भी नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाने के आदेश जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रदान किये जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत चांदेरा तहसील सिकराय के उचित मूल्य दुकानदार श्री मलखान मीना को आवंटित किये गये गेहूँ को उचित मूल्य दुकान पर खाली करवाने हेतु पाबंद किया गया जिसके बावजूद श्री मलखान मीना ने गेहूँ दुकान में खाली नहीं करवाया तथा राशन डीलर ने राशन का कार्य करने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार राशन डीलर द्वारा विभाग के आदेशों की अवहेलना की है तथा कोविड 19 महामारी के औरान आपात स्थिति में वितरण कार्य में व्यवधान पैदा किया है। जिसके फलस्वरूप श्री मलखान मीना उचित मूल्य दुकानदार को दिनांक 8.7.2020 को आगामी आदेशों तक प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन किये जाने के लिए दुकान का अस्थाई अटैचमेंट उसी ग्राम पंचायत के एफपीएस डीलर को लगाया गया। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अटैच डीलर को पोस मशीन में अंकित स्टॉक को भी अपीलांट द्वारा नहीं संभलाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा जांच के दौरानं निम्न अनियमितताऐं पायी गईः–

1. प्रवर्तन स्टाफ को स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध [illegible] गया।
2. नॉन एनएफएसए दाल 1 [illegible] 2024 किलोग्राम, दाल एनएफएसए 106 किलोग्राम गेहूँ एपीएल 8385.7 [illegible] बीपीएल एएवाई/स्टेट बीपीएल 236 किलोग्राम, चीनी 364.25 किलोग्राम में से स्टॉक मात्रा अटैच उचित मूल्य दुकानदार नहीं संभलाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:40 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

प्रवर्तन अधिकारी सिकराय द्वारा जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे प्रस्तुत की गई, जिसमें नॉन एनएफएसए दाल 1 किलोग्राम, अतिरिक्त गेहूँ 2024 किलोग्राम, दाल एनएफएसए 106 किलोग्राम गेहूँ एपीएल 8385.7 किलोग्राम, बीपीएल एएवाई/स्टेट बीपीएल 236 किलोग्राम, चीनी 364.25 किलोग्राम राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा गंभीर अनियमिताएं कर "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एव विनियमन) आदेश 1976" के खण्ड 03 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,8,10,11, व 12 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2021 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली वस्तुओं को राशन की दुकान पर खाली नहीं कराया जाना तथा राशन सामग्री के स्टॉक को अटैच किये गये अन्य दुकानदार को नहीं संभला कर अनियमितता की गई है। इसके अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा डीलर द्वारा गबन किये गये गेहूँ 10645.70 किलोग्राम की राशि 239528/-रू0 364 किलोग्राम चीनी की राशि 5755/-रू0 107 किलोग्रमा दाल की राशि 6420/- रू0 कुल 251703/-रू0 की वसूली किये जाने के आदेश पारित किये गये है। डीलर द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं एवं राशन सामग्री के दुरुपयोग किये जाने को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2021 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मई 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा